



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 24,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु0अ0सं0-420/2014 धारा-302/34, 323/34,504 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय ईसी एक्ट/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. रघुवंश पुत्र भारतेन्दु 2.सतीश पुत्र चन्द्रशेखर 3.हेमेन्द्र पुत्र रघुवंश 4.ठाकुरदास पुत्र चन्ना निवासीगण ग्राम खेड़ाशिलाजीत थाना जरिया जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 24,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री जगदीश
अनुरागी



विवेचक-
उ0नि0 सन्तोष
कुमार त्रिपाठी



पैरोकार- थाना जरिया
का0 सन्तोष यादव